**संख्या:256/2015/2612जेएल/22-3-15-100(26)/2015**

**प्रेषक,**

**करूणेश कुमार सिंह,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2015***

**विषय:** केन्द्रीय कारागार-फतेहगढ़ में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-32064/सामा-1(3)/आगरा मं0/2015, दिनांक 05-08-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 02 बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित करने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सभी विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी:-**

| क्र0 | बंदी का नाम/पिता का नाम | निरूद्धी की वर्तमान कारागार | कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है। |
|---|---|---|---|
| 1 | हरेन्द्र राणा पुत्र श्री सुरेन्द्र राणा | के0का0 फतेहगढ़। | जि0का0 वाराणसी। |
| 2 | सोनू गौतम उर्फ राहुल पुत्र श्री घनश्याम शर्मा | के0का0 फतेहगढ़। | जि0का0 महराजगंज। |

**2-** कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(करूणेश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव।**

**संख्या:256/2015/2612जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
2. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी/महराजगंज।
4. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(करूणेश कुमार सिंह)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in